न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद **35/2010**

वादीगण :–

1. रामलाल पुत्र गुणेश जाति पालीवाल निवासी मूंगड़ा
2. पुखराज पुत्र गुणेश जाति पालीवाल निवासी मूंगड़ा
3. टीकाराम पुत्र गुणेश जाति पालीवाल निवासी मूंगड़ा
4. चम्पालाल पुत्र गुणेश जाति पालीवाल निवासी मूंगड़ा
5. मोहनलाल पुत्र गुणेश जाति पालीवाल निवासी मूंगड़ा

तह0 पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. भंवरलाल पुत्र छगनाजी जाति पालीवाल निवासी रामसीन
2. सोहनलाल पुत्र छगनाजी जाति पालीवाल निवासी रामसीन
3. पमूदेवी पत्नी छगनाजी जाति पालीवाल निवासी रामसीन

तह0 पचपदरा जिला बाडमेर ।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर ।

दावा बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा व रेकर्ड दुरस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री रूगाराम कड़वासरा वकील वादीगण
2. श्री अचलाराम थोरी वकील प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :– 16/9/22

वादीगण की और से प्रस्तुत वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का सयुक्त खातेदारी खेत खसरा न. 929 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा, भूमि का सरहद मौजा मूगड़ा तहसील पचपदरा में आया हुआ है। जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त है। वादीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 929 रकबा 10बीघा 04 बिस्वा भूमि सरहद मौजा मूगड़ा जो वादीगण के पिता गुणेश पुत्र तुलसीराम की वक्त सेटलमेन्ट से कब्जा काश्त होने से संवत 2014 से 2017 की जमाबंदी में पटवारी की भूलवंश रणछोड़ पुत्र सेकीराम का नामान्तरकरण उक्त खसरा नम्बर में भरा गया, जबकि रणछोड़ पुत्र सेकीराम के नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। पटवारी हल्का से मिलावट कर रणछोड़राम द्वारा रणछोड़ पुत्र अणदाराम दर्ज करवाया गया, जबकि रणछोड़राम पुत्र अणदाराम का कोई कब्जा काश्त नहीं था, एवं रणछोडराम की फौतगी पर रणछोड के पुत्र छगनजी के नाम नामान्तरकरण भरा गया, एवं छगनजी की फौतगी पर प्रतिवादीगण के नाम नामान्तरकरण भरा गया। जबकि वदीगण की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है। प्रतिवादीगण दिनांक 26.11.2007 को जबरदस्ती कब्जा करने की नियत से आये एवं उक्त कृषि भूमि में कब्जा करने का असफल प्रयास किया गया। वादीगण को धमकी दी कि हमारे नाम की खातेदारी जमीन है, इसलिये हम जबरदस्ती कब्जा करेगें तथा हमारा हिस्सा अन्य किसी व्यक्ति को बैचान करने की धमकी देने से बमुकाम मूगड़ा प्रतिवादीगण के विरूद्ध पैदा हुआ।

अन्त मे निवेदन किया गया कि उक्त सयुक्त खातेदारी खेत खसरा न. 929 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा, भूमि का सरहद मौजा मूगड़ा तहसील पचपदरा में वादगस्त आराजी के वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। इसी माफिक राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। साथ ही प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त में अवरोध पैदा नहीं करे। न हीं बैचान हस्तान्तरण करे।

वादीगण के वाद को दर्ज कर प्रतिवादीगण को को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण 1 ता 3 की और से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा वाद–पत्र पूर्णतया निराधार एवं मिथ्या रचित प्रकथनों पर आधारित है, पूर्व जागीर गांव मूगड़ा की राजस्व सीमा में वादीगण के हकपूर्वाधिकारी स्व0 गुणेशजी एवं प्रतिवादीगण के हकपूर्वधिकारी स्व0 रणछोडजी के निस्फा– निस्फ अर्थात 1/2 एवं 1/2 हिस्से की कृषि भूमियां खसरा नम्बर 929 एवं 598 क्रमशः क्षेत्रफल 10 बीघा 04 बिस्वा एवं 17 बीघा 07 बिस्वा वक्त जागीर एवं भूप्रबन्ध के समय से अवस्थित रही है। खेत खसरा 598 मे से 14 बिस्वा भूमि सडक में कट जाने के बाद 16 बीघा 13 बिस्वा रही इस आराजी खसरा नम्बर 598 का 1/2 हिस्सा वादीगण ने डूंगरचन्द पुत्र भूराराम को बैचान कर दी उक्त तथ इस बात का द्योतक है कि दोनों ही आराजियात खसरा नम्बर 929 एवं 598 में वादीगण का निस्फ हिस्सा 1/2 हिस्सा ही अवस्थित रहा है। वक्त भू–प्रबन्ध वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा 929 में प्रतिवादीगण के हकपूर्वधिकारी स्व0 रणछोडजी का 1/2 हिस्सा था किन्तु सहवन से उनकी वल्दीयत अणदारामजी के स्थान पर सेकीराम दर्ज कर दी गई जो राजस्व कर्मचारियों की सामान्य कलम मानवीय भूल थी। जिसका ज्ञान होते ही राजस्व कर्मचारियों के द्वारा स्व. प्रेरणा से शुद्धिकरण कर अभिलेख खतौनी में सही वल्दीयत रणछोड़ पुत्र अणदाराम दर्ज कर दिया।जिसके पश्चात् राजस्व रेकर्ड में पश्चातवर्ती घटनाऐ पारित नामान्तरकणों एवं दिनांक 13.12.2004 को पंजीकृत दस्तावेज संख्या 3303/2004 हकतर्क नामा प्रतिवादीगण के पक्ष में निष्पादित किया गया, पंजीकृत दस्तावेज के प्रभाव में रहते वाद–पत्र पोषणीय नही है। इसकी वैधता एवं विधि मान्यता को परखने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही है, ऐसा क्षेत्राधिकार केवल सक्षम सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है, वाद–पत्र वादीगण अन्तर्गत धारा 207 रा.का.अ. विधि के द्वारा वर्जित है। वादीगण का वादपत्र पूर्णतया गलत एवं निराधार होने से अस्वीकार कर खारिज करने का निवेदन किया गया। साथ ही प्रतिवादीगण के द्वारा प्रतिदावा पेश कर वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कर पृथक की जावे।

न्यायालय के द्वारा वादपत्र में निम्नांकित तनकीयात कायम की गयी:–

1. आया वादी मौजा मूगड़ा के खेत ख.न. 929 रकबा 10–04 में खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है? वादी
2. आया वादी विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है? वादी
3. आया प्रतिवादी काउन्टर क्लेम पाने के अधिकारीगण है ? प्रतिवादीगण
4. सहायता

उपरोक्त तनकीयात कायम करने के उपरान्त साक्षीवादी में वादीगण के द्वारा पीडब्लू–1 टीकाराम, पीडब्लू–2 डूगरचंद के बयान कलमबंद्ध करवाये गये। तत्पश्चात् साक्षीवादीगण बन्द कर साक्षीप्रतिवादीगण में डी.डब्लू–1 भंवरलाल, के बयान कलमबंद्ध करवाये गये।

दोनों पक्षों के द्वारा लिखित में बहस प्रस्तुत की गई,

हमनें पत्रावली व पत्रावली में संलग्न दस्तावेंजात प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन व अध्ययन किया गया ।

तनकीयार विवचन किया गया तनकी संख्या 1 आया वादी मौजा मूगड़ा के खेत ख.न. 929 रकबा 10–04 में खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है? इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था, पीडब्लू–1 टीकाराम ने जिरह मे ई–एक्स–3 व 4 व 5 खसरान संख्या 598 व 929 दोनों शामिल है,

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

यह कहना सही है कि उक्त खसरों का एक ही खाता था, यह कहना गलत है कि खसरा नम्बर 598 में 1/2 हिस्सा वादीगण ने बिना प्रतिफल बैचान किया हो। पीडब्लू-2 डूगरचंद के बयानों में भी खसरा नम्बर 598 में 1/2 हिस्सा था जो जरिये रजिस्ट्री आगे बैचान किया गया,प्रतिवादीगण के दादा का नाम रणछोड़ था। रणछोड़ के पिता का नाम अणदाराम था। इनके मुख्य परीक्षण में प्रस्तुत शपथ पत्रों में वर्णित तथ्य रणछोड़राम पुत्र सेकीराम के नाम दुरूस्ती करने संबंधी वादीगण के द्वारा उल्लेखित नामान्तरकरण दस्तावेज की प्रति साक्ष्य स्वरूप परस्तुत नहीं की गयी, इसके विपरित प्रतिवादीगण की ओर से खतौनी बंदोबस्त नकल ई एक्स ए 1 पर वादीगण के अधिवक्ता के द्वारा रणछोड़ की वल्दीयत में कांट छांट होने पर आपत्ति प्रकट की गयी, जिस पर उप तहसीलदार जसोल से मूल खतौनी बंदोबस्त फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित कर तलब करने पर प्रस्तुत की गयी। खतौनी बंदोबस्त में खसरा नम्बर 598 एवं 929 दोनों खसरों में गुणेशा वल्द तुलसीराम 1/2, रणछोड़ पुत्र अणदाराम 1/2 कौम पालीवाल साकिन रामसीण दर्ज है, जमाबंदी संवत 2014 17 तैयार करते समय लिपिकीय त्रुटि से रणछोड़ पुत्र सेकीराम दर्ज हुआ, जिसे आगामी वर्ष की खतौनी तैयार करते समय मिसल बंदोबस्त में दर्ज नाम अनुसार दुरूस्ती शुद्धिपत्र जरिये की जा सकती है, इसी के साथ मिसल बंदोबस्त के अनुसार एक ही खाता में दर्ज समान हिस्सों के अनुसार खसरा नम्बर 598 व 929 में से खेत खसरा नम्बर 598 में वादीगण के द्वारा 1/2 हिस्सा का बैचान किया जा चुका है, इससे स्पष्ट है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खतौनी बंदोबस्त में समान 1/2 हिस्सा व 1/2 हिस्सा दर्ज रहा है, सम्पूर्ण खसरा संख्या 929 रकबा 10 04 बीघा वादीगण का हो ऐसा कोई साक्ष्य वादीगण के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण तनकी संख्या 01 को साबित करने में असफल रहे है, लिहाजा तनकी संख्या 01 को वादीगण के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 2 आया वादी विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है? इस तनकी को भी साबित करने का भार वादीगण पर था, चूंकि तनकी संख्या 01 वादीगण के विरूद्ध निर्णीत हो जाने से तनकी संख्या 2 स्वतः ही वादीगण के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 3 आया प्रतिवादी काउन्टर क्लेम पाने के अधिकारीगण है ? इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था, प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र खातेदारी की घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है, जबकि प्रतिवादीगण के द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपना 1/2 हिस्सा को बाई मिट्स एण्ड बाउण्डरस बंटवाड़ा करने का प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया है, जो विधि के अनुकूल नहीं होने एवं विधि से विपरित प्रस्तुत प्रतिदावा अस्वीकार करने योग्य होने से तनकी संख्या 03 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

उपरोक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दावा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

डिक्री पर्चा जारी हो । खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 16/9/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
बालोतरा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा